न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 392/2026

राज्य बनाम पीयूष सिंह

मु0अ0सं0–70/2026
धारा– 80(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना– बसन्त विहार, देहरादून

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता– श्री यशपाल सिंह पुण्डीर
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी– श्री भानू प्रताप बिष्ट

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक– 16.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **पीयूष सिंह पुत्र श्री डी0पी0 सिंह, निवासी– 1, आशीर्वाद एनक्लेव, थाना बसन्त विहार, देहरादून** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उक्त मुकदमे में उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना स्पष्टीकरण के सोची समझी साजिश के तहत लिखायी गयी है। घटना के समय जब अभियुक्त की पत्नी ने आत्महत्या की तो वह घर पर मौजूद नहीं था। जैसे ही सूचना मिली, अभियुक्त तुरन्त पीड़िता को एंबुलेंस के जरिये हास्पीटल लेकर गया और उसका जीवन बचाने का भरसक प्रयास किया। प्रार्थी/अभियुक्त ने ही घटना के विषय में उसके परिवार वालों को सूचित किया। पीड़िता अपने आफिस की चल रही इन्क्वायरी की वजह से मानसिक दबाव में थी। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा ना ही पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त सरकारी मुलाजिम है तथा उसके भागने का कोई भय नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूट जाने के बाद अभियोजन के साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अतः प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध को गंभीर प्रकृति का व अजमानतीय बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिक. ारी को सुना गया तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर अपनी पत्नी राजेश्वरी की दहेज की मांग के नाम पर क्रूरता कर उसकी दहेज मृत्यु कारित करने का अभियोग है। अभियुक्त दिनांक 07.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त पर आरोपित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा माननीय सेशन न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। हस्तगत प्रकरण में अन्वेषण अभी गतिमान है। अतः मामले के गुण व दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित आदेश से निरस्त किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **पीयूष सिंह पुत्र श्री डी0पी0 सिंह** का जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 70/2026, अन्तर्गत धारा 80(2) भारतीय न्याय संहिता निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सहित, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जाए और एक प्रति जेल अधीक्षक, देहरादून के माध्यम से अभियुक्त को प्रदान किए जाने के लिए ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाए।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
देहरादून।